संख्या 719 /XIV–1/2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:–1 देहरादून दिनॉक 17/8/ जुलाई 2009

विषय:–चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3025/नियो0/एस0सी0एस0पी0/ग्रा0गो0/2009–10 दिनांक 31.07.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत गोदाम निर्माण हेतु रू0 28.01 लाख (रू0 अठाईस लाख एक हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये इतनी ही धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	नाम जनपद	समिति का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	नैनीताल	सरना साधन सहकारी समिति लि0	4.72
2	हरिद्वार	लालढांग साधन सहकारी समिति लि0	6.40
3	पिथौरागढ	बहज साधन सहकारी समिति लि0	6.57
4	उत्तरकाशी	बणगांव साधन सहकारी समिति लि0	5.00
5	टिहरी	स्वार्क साधन सहकारी समिति लि0	5.32
		योग–	28.01

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों एवं सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व वाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

2. उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्यव यय–04–पैक्स गोदाम निर्माण हेतु सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या– 187 (P)/XXVII-4/दिनांक 12.08.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः–719 /XIV–1/2009,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंन्त्री सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितिया, उत्तराखण्ड ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6. सम्बन्धित जिला सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।